केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) कासरगोड़ - 671124 केरल

Kasaragod

अर्जित छुट्टी के लिए /छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र / Application for Earned leave or for Extension of leave

01. आवेदक का नाम/ Name of applicant 02. पदनाम/Post held 03. विभाग, कार्यालय और अनुभाग Department, Office and Section 04. वेतन/Pay 05. वेतनमान पद पर कितना मकान किराया/ अन्य प्रतिपूरक भत्ता House rent and other compensatory allowances drawn in the present post 06. आवेदित छुट्टी की अवधि व प्रकार तथा किस तिथि से आवश्यक है Nature and period of leave applied for and date from which required 07. यदि रविवार या अन्य किसी छुट्टी के पहले या बाद में जोड़ना हो Sunday & Holiday, if any, proposed to be prefixed/suffixed to leave 08. किस कारण छुट्टी चाहिए Ground on which leave is applied for 09. अंतिम ली गई छुट्टी की अवधि व प्रकार Date of return from last leave, and the nature and period of that leave 10. मैं मांगी गई छुट्टी के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का ब्लाक वर्ष में लाभ उठान चाहता हूं/नही चाहता हूं I proposed /do not propose to avail myself of L.T.C. for the block year.... during the ensuing leave 11. छुट्टी के दिनों का पता/address during leave period

> आवेदक का हस्ताक्षर (दिनांक सहित) Signature of Applicant (with date)

12. नियंत्रण कर्ता अधिकारी की सिफारिश और या रिमार्क : Remarks and/or recommentation of the controlling Officer

> हस्ताक्षर एवं पदनाम/ (दिनांक सहित)/ Signature & Designation (with date)

अवकाश स्वीकार्यता का प्रमाणपत्र /Certificate regarding addmissibility of leave

13. प्रमाणित किया जाता है किदिन छुट्टी (छुट्टी के प्रकार) केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश है ।	ा सेतक (छुट्टी की अवधि) ा) नियम 1972 के नियम के आधी	
	for(period) from of the CCS(Leave) Rules,1972.	
	हस्ताक्षर (दिनांक सहित)/Signature(with dat पदनाम/Designation	e)
14. छुट्टी अनुदान को सक्षम अधिकारी का आदेश Orders of the authority competent to grant leave		
	हस्ताक्षर (दिनांक सहित)/Signature (with date) पदनाम/Designation	

• If the applicant is drawing any compensatory allowance, it should also be indicated in the orders on the expiry of leave, the Government servant is likely to return to the same post or to another post carrying similar allowance.